

हरियाणा वधानसभा चुनाव के लिये पर्यवेक्षक

चर्चा में क्यों?

सूत्रों के अनुसार, [भारत नरिवाचन आयोग](#) हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में वधानसभा चुनावों के लिये 400 से अधिक पर्यवेक्षकों को तैनात करेगा।

प्रमुख बदि

- मतदान नकियाय, लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 20B तथा [संवधान की पूरण शक्तियों](#) के तहत पर्यवेक्षकों की तैनाती करता है।
- एक बैठक में नरिवाचन आयुक्त ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों को [स्वतंत्र एवं नषिपकष चुनाव](#) के लिये संपूरण चुनाव तंत्र पर नज़र रखनी चाहिये तथा उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पर्यवेक्षकों की भूमिका और भी महत्त्वपूरण हो जाती है।
 - पर्यवेक्षकों को सख्त नरिदेश दिया गया कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं की शकियातों का समय पर नविरण करने के लिये उनके पास उपलब्ध रहें।

लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 की धारा 20B

- नरिवाचन आयोग कसिी नरिवाचन क्षेत्र या नरिवाचन क्षेत्रों के समूह में चुनावों के संचालन की नगिरानी करने तथा आयोग द्वारा साँपे गए अन्य कार्यों के नषिपादन के लिये कसिी सरकारी अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नामति कर सकता है।
- यदि पर्यवेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर बूथ कपचरगि हुई है या मतपत्रों को अवैध रूप से ले लिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, खो दिया गया है या उनके साथ इस हद तक छेड़छाड़ की गई है कि मतदान का परणाम सुनश्चिति नहीं कया जा सकता है, तो पर्यवेक्षक को रटिरनगि अधिकारी को मतगणना रोकने या परणाम घोषति न करने का नरिदेश देने का अधिकार होगा।
- इसके बाद पर्यवेक्षक मामले की सूचना [नरिवाचन आयोग](#) को देगा।

भारत नरिवाचन आयोग

- यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधकिरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़मिमेदार होता है।
- इसकी स्थापना संवधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जसिे [राष्ट्रीय मतदाता दविस](#) के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचवालय नई दलिली में है।
- यह नकियाय भारत में [लोकसभा](#), [राज्यसभा](#) और राज्य वधान सभाओं तथा देश में [राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति](#) के पदों के लिये चुनावों का संचालन करता है।
- यह राज्यों में [पंचायतों](#) और [नगर पालिकाओं](#) के चुनावों से संबंधति नहीं है। इसके लिये भारत के संवधान में अलग से राज्य नरिवाचन आयोग का प्रावधान है।